राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(4)वित्त/नियम/2019 **जयपुर, दिनांक :** 13 JAN 2020

परिपत्र

विषय :– **राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति** (Reverse Deputation) **हेतु सामान्य शर्तें एवं निर्देश।**

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या 1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I दिनांक 17.02.2007, 03.02.2010 एवं परिपत्र संख्या 1(4)वित्त/नियम/2015 दिनांक 16.11.2017 के अधिक्रमण में राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों / मंडलों एवं स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों को राजकीय विभागों में विभिन्न पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) हेतु निम्नलिखित सामान्य निर्देश / शर्तें एतद्द्वारा जारी की जाती है:–

(i) रिवर्स डेपुटेशन उन्हीं कर्मचारियों का किया जाएगा जिनको अधिशेष घोषित नहीं किया गया हो या जिनकी छँटनी नहीं की गई हो या संस्थान / उसके किसी भाग को, जिसमें कर्मचारी कार्यरत है को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया हो। कर्मचारी नियमित रूप से उस संस्थान में कार्यरत हो। इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था के मुखिया (MD/CMD) को देना होगा।

(ii) पैतृक संस्थान में दैनिक वेतन, स्थिर वेतन, संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) नहीं की जाएगी।

(iii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर उन्हीं कर्मचारियों को लगाया जाएगा जो पैतृक संस्थान में नियमित रूप से चयन के फलस्वरूप सेवा में आये हों एवं समान वेतन श्रृंखला / उच्च वेतन श्रृंखला आहरित कर रहे हों। उच्च वेतन श्रृंखला के पद के विरुद्ध निम्न वेतन श्रृंखला के कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जाये।

(iv) विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में परिपत्र की शर्त संख्या (i), (ii) एवं (iii) के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव किये जाने पर ऐसे कर्मचारी को वित्त विभाग की सहमति से एक वर्ष तक विपरीत प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा। वित्त विभाग की सहमति से रखे गये कर्मचारी की विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष तक के लिये प्रशासनिक विभाग के स्तर पर और बढ़ाई जा सकेगी। विपरीत प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।

rajsevak.com

(v) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर किसी भी कर्मचारी को वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त ही लिया जा सकेगा। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर केवल उपयुक्त कार्मिकों को लिये जाने हेतु संबंधित विभाग द्वारा कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता, कार्मिक द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विवरण प्राप्त किया जायेगा तथा विभाग में जिस कार्य के लिये विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना है उसके संदर्भ में विभाग द्वारा कार्मिक की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा। ऐसे उपयुक्त पाये गये कार्मिक का गत 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में से 5 वार्षिक कार्य मूल्यांकन बहुत अच्छा होने, कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण बकाया न हो, अनुशासनिक नियमों के तहत दण्डनीय कार्यवाही नहीं होने तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर समकक्ष कर्मचारी को लिये जाने से पूर्व गत 7 वर्षों में नियमित वेतन वृद्धि प्राप्त होने, अनुशासनिक नियमों के तहत कार्यवाही नहीं होने, विभागीय जांच एवं न्यायिक प्रकरण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान से प्राप्त कर विभागीय स्तर पर स्क्रीनिंग कर ऐसे कार्मिकों को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाया जायेगा।

(vi) प्रथम विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने की स्थिति में निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी :–

1. विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि 5 वर्ष पूर्ण होने पर संबंधित कार्मिक को पैतृक संस्थान के लिये कार्यमुक्त किया जावेगा।

2. सामान्यतया किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रथम विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर पुनः विपरीत प्रतिनियुक्ति दो वर्ष के अन्तराल के उपरान्त ही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से पूर्व वित्त (नियम) विभाग की अनुमति से विपरीत प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी।

3. राजकीय विभाग में 5 वर्ष से अधिक अवधि तक पद रिक्त रहने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत पद को विपरीत प्रतिनियुक्ति से भरा जाना आवश्यक हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा पद रिक्त रहने की तथ्यात्मक स्थिति एवं लोक हित में रिक्त पद को विपरीत प्रतिनियुक्ति से भरे जाने की कार्यात्मक आवश्यकता के औचित्य सहित रिक्त पद पर अन्य कर्मचारी की विपरीत प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया जायेगा।

4. जिन राजकीय उपक्रमों के अवसायन की कोई संभावना नहीं है ऐसे राजकीय उपक्रमों के अधिशेष कर्मचारियों की सेवायें राजकीय विभागों में रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की अधिकतम सीमा 10 वर्ष तक की जा सकेगी।

rajsevak.com

5. विशिष्ठ मामलों में विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम 5 वर्ष या 10 वर्ष, जैसा भी प्रकरण हो, की अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की विपरीत प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिया जाना आवश्यक हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त विशिष्ठ कारण को अंकित करते हुए प्रकरण वित्त विभाग को सहमति हेतु भिजवाया जायेगा। ऐसे विशिष्ठ प्रकरण में विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/प्रमुख शासन सचिव, वित्त के स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

(vii) कोई कर्मचारी विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर उसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा जिस पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताएं रखता हो। इसमें किसी प्रकार का शिथिलीकरण नहीं दिया जाएगा। कार्मिक विभाग अपवाद स्वरूप विशिष्ट मामलों में परीक्षण करके, मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित योग्यताओं को उचित सीमा तक शिथिलता प्रदान कर सकेगा जिसकी पूर्व अनुमति संबंधित प्रशासनिक विभाग (Reverse Deputation पर लेने वाला) आदेश जारी करने से पूर्व प्राप्त करेगा एवं आदेशों में इसका संदर्भ अंकित किया जाएगा।

(viii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान कर्मचारी को वे ही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो वे पैतृक संस्थान में प्राप्त कर रहे थे अथवा सरकार में देय हों (जो भी कम हो) परंतु उसे ऐसे अतिरिक्त भत्ते/ सुविधाएँ देय नहीं होंगी जो उसे पैतृक संस्थान में प्राप्त थी परंतु राज्य सरकार में उसके समकक्ष कर्मचारियों को देय नहीं हो।

(ix) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान राज्य बीमा, जी.पी.एफ, आर.पी. एम.एफ एवं राज्य कर्मचारियों से किए जाने वाली ऐसी अन्य कटौतियां ऐसे कर्मचारी के वेतन से नहीं की जायेंगी।

(x) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान ऐसे कर्मचारियों के वेतन से पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार वसूली योग्य राशि वेतन से काटी जाएगी। कार्मिक का सी.पी.एफ अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से पैतृक संस्थान को भेजा जाना नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इन निर्देशों की अनुपालना नहीं किये जाने पर संबंधित लेखा सेवा के कर्मचारी/अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। संबंधित कर्मचारी का भी दायित्व होगा कि वह समय – समय पर यह सुनिश्चित करे कि सीपीएफ अंशदान कटौती एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से उसके संबंधित लेखे में जमा किया जा रहा है। सीपीएफ अंशदान कटौती एवं नियोक्ता का अंशदान जमा नहीं होने की स्थिति में वह संबंधित लेखा सेवा के कर्मचारी/अधिकारी को लिखित में पालना हेतु सूचित करेगा।

(xi) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) कार्मिकों पर पैतृक संस्थान के सेवा नियमों की सेवा शर्तें यथावत लागू होंगी एवं अवकाश लाभ पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार ही देय होंगे।

rajsevak.com

(xii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

(xiii) ऐसे कर्मचारियों को विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान संस्थान से बोनस / एक्सग्रेशिया का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(xiv) चिकित्सा सुविधा एवम् यात्रा भत्ता नियम राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप ही देय होंगे।

(xv) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान कार्मिक के सर्विस रिकॉर्ड का संधारण पैतृक संस्थान द्वारा ही किया जायेगा। वार्षिक वेतन वृद्धियां आदि पदस्थापन के दौरान नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेंगी।

(xvi) यदि पैतृक संस्था में छँटनी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जाती है या पैतृक संस्था को बंद किए जाने का निर्णय किया जाता है तो ऐसी संस्था के विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर आए कर्मचारी को भी पैतृक संस्था को लौटाना होगा जिससे संस्था उसे स्वैच्छिक सेवानिवृति दे सके अथवा छँटनी कर सके।

(xvii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर कार्यरत कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों को देय पेंशन इत्यादि के लाभ देय नहीं होंगे अपितु पैतृक संस्थान के अनुसार ही सेवानिवृत्ति लाभ नियमानुसार देय होंगे एवं पैतृक संस्थान द्वारा ही भुगतान किया जाएगा।

(xviii) सेवानिवृत्ति से एक वर्ष या स्वीकृत विपरीत प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार कार्मिक को उसके पैतृक संस्थान में लौटा दिया जावेगा।

1/1/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

rajsevak.com

12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

1/1/20

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–I, वित्त

(आरएसआर 01/2020)

rajsevak.com